# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 497/2022

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| भैरूसिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत निवासी– लवारण तहसील सेखाला, जोधपुर। | | राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सेखाला जिला जोधपुर। |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, बालेसर जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या शून्य/2021 अनवान तहसीलदार बालेसर बनाम समस्त गांव गोकलसरदेव व लवारन में पारित किया गया ।**

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

### निर्णय

दिनांक 16 जनवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बालेसर हाल सेखाला के द्वारा अपने पत्रांक 943 दिनांक 10.05.2019 के द्वारा एक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गोकलसरदेव व लवारन के ख0सं0 130, 131, 40, 42 में अवस्थित खसरान भूमि में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो भी मौका पर पाये गये, उनका राजस्व रेकार्ड में तथा जमाबन्दी में अंकन नहीं है, चालू रास्तों का रास्ते के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार बालेसर हाल सेखाला के प्रार्थना पत्र को दिनांक 30.05.2022 को स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान भूमि में चल रहे रास्ते का अंकन/तरमीम नक्शा लटठा ट्रेस में करते हुए जमाबन्दी में किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.05.2022 को पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के ख0सं0 40 में से रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि को सीधे रास्ते में दर्ज करने बाबत अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा अपीलान्टस को बिना नोटिस दिये गैर मुमकीन रास्ते में दर्ज कर दी गई। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.5.22 के द्वारा अपीलान्ट के खसरान भूमि में से रास्ता घोषित किये जाने बाबत आदेश पारित किया है जो अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा अपीलान्टस को बिना नोटिस दिये बगैर अपीलार्थी की सहमति के पारित किया गया है जिसकी जानकारी उन्हें पूर्व में नहीं हुई। दिनांक 2.9.22 को पटवारी हल्का ने मौके पर आकर अपीलार्थी के खेत

में से रास्ता खोलने का उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के आदेश होना बताया तब उनके द्वारा बालेसर जाकर दिनांक 6.9.2022 को नकले प्राप्त करते हुए दिनांक 9.9.22 को यह अपील प्रस्तुत की है। अतः उक्त हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार की जावे।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से नियम, न्याय, अभिलेख, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध मनमाने तौर पर न्यायिक प्रकिया का उल्लंघन कर पारित किया गया है। ख0सं0 40 अपीलार्थी की पीढियों की खातेदारी व कब्जाकाश्त की है जिसके चारो तरफ बाडमाठ व तारबन्दी की हुई है जिसमें से होकर कोई भी कदीमी रास्ता नहीं चलता है न पहले से चलता था। तहसीलदार बालेसर हाल सेखाला के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में अंकित खसरान भूमि में चालू रास्ते के रेकर्ड में अंकन किये जाने के सम्बन्ध दिनांक 30.05.2022 को पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के ख0सं0 40 में से रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि को सीधे रास्ते में दर्ज करने बाबत अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा अपीलान्टस को बिना नोटिस दिये बगैर अपीलार्थी की सहमति के ही गैर मुमकीन रास्ते में दर्ज कर दी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने कोई अधिकार नहीं था, तहसीलदार केवल भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के जरिये रास्ता घोषित करवा सकता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी की भूमि को बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये ही बिना मुआवजे दिये ही गैर मुमकीन रास्ते में दर्ज करने के आदेश दिये गये है जो राजस्व विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.6.2016 के कम में पारित किया है। जो गैर कानूनी होने से निरस्त करने योग्य है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ कोई राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कदीमी रास्ता चलने का कोई अभिलेख प्रस्तुत हुआ। यदि रास्ता चलता होता तो सेटलमेन्ट में वह दर्ज होता। ऐसे में प्रारम्भ से ही कार्यवाही चलने योग्य नहीं थी और न ही किसी खातेदार के खातेदारी के अधिकार उनकी सहमति बिना समाप्त नहीं किये जा सकते है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2022 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार सेखाला के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम गोकलसरदेव व ग्राम लवारन के विभिन्न खसरान भूमि में मौके पर चल रहे कदिमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित करते हुए नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है एवं अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

क्षेत्रीय आयुक्त

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 30.05.2022 का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में गैर मुमकीन रास्ता का अंकन कदीमी रास्ता होने के आधार पर किया जाना प्रतिवेदित किया है। पत्रावली का विवेचन व विश्लेषण उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित तहसीलदार से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर मौका फर्द तैयार करवाई जावें। उक्त मौका फर्द व उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण किया जावे। किसी भी पक्ष द्वारा कदीमी रास्ता बन्द नहीं किया जावें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त समागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर